जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सीहोर
प्रधान कार्यालय

समर्थन मूल्य गेंहूँ उपार्जन समितियों को प्रदाय सामग्री संबंधी नियम एवं शर्ते

1. सामग्री उपार्जन केन्द्रों को मोके पर प्रदाय करना होगी ।
2. समिति की मांग अनुसार समय पर सामग्री उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा, प्रदाय की जाने वाली सामग्री प्रतिष्टत मिल कम्पनी की होना अनिवार्य है ।
3. सामग्री प्रदाय से पूर्व समस्त गुणवत्ता की जबाबदारी प्रदायकर्ता की होगी ।
4. सामग्री का बिल का भुगतान उपार्जन समिति के द्वारा किया जावेगा ।
5. फर्म का जी.एस.टी./पेन कार्ड की सत्यापित प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।
6. फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
7. सहकारी समिति प्रदायकर्ता को प्राथमिकता दी जावेगी ।
8. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र जिला सीहोर होगा ।
9. निविदा बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सीहोर का रहेगा ।
10. निविदा के समय फर्म का टर्न ओवर न्यूनतम 75.00 लाख होना अनिवार्य होगा एवं विगत 03 वर्ष की आडिटेड बैलेंस शीट स्व प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगा।
11. निविदा के समय अर्नेस्ट मनी डी.डी. राशि 5.00 लाख (पांच लाख) का अधोहस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में जारी हो प्रस्तुत करना होगा, जिसे संतोष जनक कार्य पूर्ण होने के पश्चात वापस की जावेगी ।
12. निविदा 03 लिफाफे में होना चाहिये (पहले लिफाफे में डी.डी. दूसरे लिफाफे में दस्तावेज तीसरे लिफाफे में रेट लिस्ट तीनो लिफाफे एक बड़े लिफाफे के अन्दर बंद होना चाहिये)
13. प्रदाय की गई सामग्री का बिल उपार्जन केन्द्रवार संबंधित बैंक शाखा को प्रदाय करना होगा ।
14. प्राप्त निविदाओं में सफल निविदाकार फर्म से प्राप्त दरों में आवश्यकता होने पर निगोसियेशन की कार्यवाही भी की जा सकती है ।
15. निविदा आवेदन पत्र निर्धारित दिनांक तक व्यक्तिगत रूप से या साधारण डाक से प्रेषित किये जा सकते है ।
16. संस्थाऐं दरे निर्धारित हाने के पश्चात सामग्री की गुणवत्ता की दृष्टि से किसी भी फर्म से सामग्री कय किये जाने हेतु स्वतंत्र होगी परन्तु न्यूनतम दर वाली फर्म को उक्त सामग्री संबंधित संस्थाओं को उपलब्ध करवाना बंधनकारी होगा अन्यथा कि स्थिती में अर्नेस्ट–मनी की राशि जप्त की जाकर संबंधित संस्था को हानि की प्रतिपूर्ति में समायोजित की जा सकेगी ।
17. कोई भी व्यक्ति समस्त/एक वस्तु की निविदा भी प्रस्तुत कर सकता है।
18. निविदा में आवेदन किये जाने का अर्थ होगा आवेदक को उपरोक्त समस्त शर्ते मान्य है।
19. यदि चयनित फर्म के अतिरिक्त भी अन्य कोई फर्म इसी गुणवत्ता व निर्धारित दर पर सामग्री प्रदाय करती है तो उक्त फर्म को सामग्री प्रदाय की जाने वाली संस्था के पास राशि रू–2.00 लाख की डी.डी. अर्नेस्ट मनी के रूप में रखी जाना होगी ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

Desk/ac/vip/lowanshi ji/Letter Pad/girjesh